राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5927/2021

रेखाराम रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.11.2021
आदेश की दिनांक : 11.07.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री राज कुमार शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगदीश मलिक, अधिवक्ता

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.08.2020 (अनुलग्नक–1) द्वारा पूर्व में जारी मिस्त्री ग्रेड–II पदोन्नति आदेश दिनांक 07.01.2020 में संशोधन कर वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 2400/– (ए–5) के स्थान पर वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 2800/– (ए–8) की गई। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.01.1987 को बेलदार के पद पर जयपुर विकास प्राधिकरण में हुई। तत्तपश्चात अपीलार्थी को दिनांक 01.01.1999 से नियमित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2013 (अनुलग्नक–2) द्वारा बेलदार से हैल्पर के पद पर पद परिवर्तन किये जाने के साथ ही बेलदार का पद समाप्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2017 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय एसीपी दिनांक 01.01.2016 से पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2000/– में स्वीकृत की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.01.2020 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्ति के विरूद्ध हैल्पर के पद से मिस्त्री ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 13.02.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा 2400/– ग्रेड पे दी गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.05.2020 (अनुलग्नक–6) द्वारा सेवानिवृत्त किया गया तथा उपार्जित अवकाश खाते में बकाया 272 दिवस के अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग ने रामलाल

धानका को 3600 ग्रेड–पे स्वीकृत की गई और भंवरलाल हैल्पर को तृतीय एसीपी दी गई। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1689/2021 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.02.2021 (अनुलग्नक–8) द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रिट याचिका को खारिज किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 22.06.2020 (अनुलग्नक–9) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिस्त्री ग्रेड–II पर मेरे समान अन्य कर्मचारियों को ग्रेड पे 3600/– दी जा ही है, जबकि अपीलार्थी को 2400/– ग्रेड पे ही दी जा रही है। अतः इनके समान ही 3600/– ग्रेड पे दी जावे परन्तु विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 24.08.2021 (अनुलग्नक–10) द्वारा पे ग्रेड 33700 के आदेश जारी किए गए। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1354/2021 दायर की और अपील आदेश दिनांक 13.09.2021 (अनुलग्नक–11) द्वारा वापस ले ली।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को मिस्त्री ग्रेड–II के पद पर ग्रेड पे 3600/– प्रदान की जावे और तद्नुसार सभी सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को संशोधित करे और वास्तविक भुगतान तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश दिनांक 26.08.2020 में अपीलार्थी को रूपये ग्रेड पे 2800/– लेवल 5 के स्थान पर लेवल–8 में वेतन बैंड 5200–20200 के साथ स्वीकृत किया गया है, जिसमें पहले अपीलार्थी का ग्रेड पे 2400/– रुपये था। अपीलार्थी को चयन वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.03.2020 से हेल्पर के पद से मिस्त्री ग्रेड–II में पदोन्नत किया गया है। उक्त आदेश में उसे ग्रेड पे 2400/– रुपये बाद में आदेश दिनांक 26.08.2020 द्वारा ग्रेड पे 2800/– प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की कार्यकारी समिति की 182वीं बैठक के कार्यवृत्त को लागू किया गया है जिसमें अपीलार्थी को बेलदार के पद से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक नए पद पर रखा गया है। अपीलार्थी की सेवाएँ दिनांक 01.01.1999 नियमित की गई। अपीलार्थी एवं अन्य की वरिष्ठता प्रत्यर्थी विभाग में पहले से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ रहेगी। अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद तृतीय एसीपी स्वीकृत की गई और उसका वेतन 01.07.2012 से 01.07.2017 तक नियमित कर दिया गया। अपीलार्थी का वेतन 12300/–रुपये तय किया गया था तथा अगली वेतन वृद्धि तिथि 01.07.2018 को होगी। अपीलार्थी को हेल्पर के पद से मिस्त्री ग्रेड–द्वितीय में पदोन्नत किया गया है। आदेश दिनांक

23.12.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसाओं के अनुसार जारी किया गया है। नरपत सिंह, रामफूल मीना, भंवर लाल जाट एवं रेखा राम रैगर को उनके आवेदन में दिनांक 13.02.2020 द्वारा ग्रेड पे 2400/– के स्थान पर 2800/– देने हेतु पत्र जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने सरकार द्वारा जारी निर्धारित मानदंड दिशानिर्देशों के अनुसार उनका वेतन तय किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2020 द्वारा अपीलार्थी का ग्रेड पे 2400/– लेवल–8 से संशोधित कर 2800/– कर दिया गया। राम लाल धानका, मिस्त्री–ग्रेड–द्वितीय की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद दिनांक 01.01.2017 से संशोधित किया गया है और तृतीय एसीपी के लिए पात्र हो गए, उनका वेतन 9300–34800 के वेतन बैंड –2 में मौजूदा ग्रेड वेतन संख्या 11 3600/–रुपये के साथ तय किया गया और आदेश दिनांक 31.01.2018 भंवर लाल जाट हेल्पर से संबंधित है। उपर्युक्त पदधारी अपीलार्थी से सेवा अवधि में बहुत वरिष्ठ थे, जबकि अपीलार्थी दिनांक 31.05.2020 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए गये अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण आगामी 30 दिवस की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य